

# उद्धरण खतीनी

03010S050 ग्राम का नाम : मवाना खुर्द  
फसली वर्ष : 1416-1421

परगना हरिनापुर तहसील : मवाना  
धारा : 1

खानेदार का नाम	पिता / पति / सरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल ( हे. )	खानेदार का नाम	परिवर्तन सम्बन्धी आता या उसका संख्या या उसकी संख्या तथा दिनांक	टिप्पणी
----------------	-------------------------------	-------------	--	--	---	-------------------	---	---------

1 -----2-----3 4 5 6 7-12 13

श्रेणी : 1 ऐसी भूमि जिसमें सरकार या गौवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे 1950 ई. के उ.प्र.न.वि.एवं.भू.व्य.अ.की धारा 117क के अधीन धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो, खेती करता हो।

00001 राजपल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश नि. ग्राम

167 1.1950  
169 0.5660  
170 4.3090

1420फ0 शासनदेश सं0 1682/15-11-2012-406/11  
दिनांक 22-06-2012 के प्रस्तर-2 में शासनदेश सं0 शू0ओ  
-13/15-11-2012-406/11 दिनांक 05-03-2013 के  
द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है "प्रस्तर-2 में  
में मवाना खुर्द की डाक्ट परिसर की भूमि 6.0700हे0में से  
मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रीक्ट डवलपमेंट योजना के  
अन्तर्गत नवीन राजकीय पोलिटैक्निक को स्थापना किये  
जाने हेतु 5 एकड भूमि जिलाधिकारी मेरठ को  
हस्तानान्तरित किये जाने हेतु अनापत्ति इस शर्त के  
साथ प्रदान की जाती है कि इस विभाग को अनापत्ति  
दृष्टिगत प्रश्नगत भूमि पर मालिकाना हक बैरिक शिक्षा  
विभाग से प्रावधिक शिक्षा विभाग को हस्तानान्तरित  
करने पर जिलाधिकारी मेरठ प्रावधिक शिक्षा विभाग  
मेरठ के माध्यम से मा0मंत्री परिषद का अनुमोदन प्राप्त  
कर लेंगे तथा चिन्हित भूमि को बाउन्ड्री का निर्माण  
कराया जाना भी आवश्यक होगा " के स्थान पर निम्नवत:  
पढा जाये, "जनपद मेरठ में मवाना डाक्ट परिसर की  
भूमि 6.0700हे0 में से मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रीक्ट  
डवलपमेंट योजना के अन्तर्गत नवीन राजकीय  
पोलिटैक्निक को स्थापना किये जाने हेतु 5 एकड भूमि  
जिलाधिकारी मेरठ को हस्तानान्तरित किये जाने हेतु  
अनापत्ति प्रदान की जाती है तथा चिन्हित भूमि को  
बाउन्ड्री का निर्माण कराया जाना भी आवश्यक होगा।"

11